आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)(2) लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृति/2021–22/6187 दिनांक : 12.05.2023

समस्त रजिस्ट्रार/प्राचार्य,
विश्वविद्यालय/राजकीय महाविद्यालय/निजी महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :–कालीवाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना (12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण) वर्ष 2021–22 के लिए स्कूटी हेतु आवेदन करने वाली पात्र छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची।

संदर्भ :–विभाग द्वारा प्रसारित विज्ञप्ति क्रमांक–948 दिनांक–29.12.2021, 1306 दिनांक 24.02.2022 एवं 1748 दिनांक–11.01.2023

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित विज्ञप्तियों द्वारा वर्ष 2021–22 हेतु कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना में स्कूटी (12वीं उत्तीर्ण, 10वीं उत्तीर्ण) हेतु ऑनलाईन छात्रवृति आवेदन आमंत्रित किये गये थे। महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों की अनुशंषा से FORWARD होकर संबंधित विभाग को आवेदन पत्र प्राप्त हुए। तदुपरान्त पत्रांक–1107 दिनांक–12.10.2022 (12वीं उत्तीर्ण हेतु) एवं 1248 दिनांक–03.11.2022 (10वीं उत्तीर्ण हेतु) द्वारा अस्थाई वरीयता सूची जारी कर क्रमशः दिनांक–20.10.2022 एवं दिनांक–15.11.2022 तक आपत्तिया मांगी गई थी। छात्राओं/अभिभावको/महाविद्यालयों/जिला नोडल अधिकारियों से प्राप्त मांग/परिवेदनाओं के आधार पर आयुक्तालय के पत्रांक–1748 दिनांक–11.01.2023 द्वारा दिनांक–12.01.2023 से 31.01.2023 तक पुनः छात्राओं द्वारा आवेदन, दिनांक–14.02.2023 तक छात्राओं द्वारा आक्षेप पूर्ति एवं दिनांक–18.02.2023 तक आवेदन महाविद्यालय/जिला नोडल महाविद्यालयों/जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा संबंधित मुख्यालय को अग्रेषित करने हेतु पोर्टल खोला गया जिससे कुछ छात्राऐं सम्मलित हुई। तदुपरान्त पत्रांक–2128 दिनांक–09.03.2023 (12वीं उत्तीर्ण हेतु) एवं 2134 दिनांक–09.03.2023 (10वीं उत्तीर्ण हेतु) द्वारा अंतरिम वरीयता सूची जारी कर दिनांक–21.03.2023 तक आपत्तियां मांगी गई थी। प्राप्त आपत्तियों के निराकरण पश्चात् आवेदन पत्रों की अंतिम वरीयता सूची जारी की जा रही है। **जिसका अवलोकन विभागीय वेबसाईट https://hte.rajasthan.gov.in/ पर किया जा सकता है।**

- संबंधित प्राचार्य/जिला नोडल अधिकारी, राजकीय महाविद्यालय/कन्या महाविद्यालय, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि वरीयता सूची अनुसार संबंधित छात्रा के प्राप्तांक प्रतिशत का सीनियर सैकण्ड्री की मूल अंकतालिका व अन्य वांछित मूल दस्तावेजों से मिलान किया जाना सुनिश्चित करें।
- वर्ष 2021–22 में उक्त छात्राऐं स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत रही हो।
- अनुबंधित फर्म द्वारा कार्यादेश अनुसार ई–रुपी के माध्यम से वितरण हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली स्कूटियों की उपलब्धता की पुष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाना सुनिश्चित करावें एवं पूर्ण विवरण अंकित की इसकी सूचना विभागीय मुख्यालय को प्रेषित करावें।

d:\scholarship\scheme\kalibai 2021-22\kalibai scooty final list oreder 2021-22.docx

Signature valid
Digitally signed by Su[illegible] Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.05.12 1[illegible]:43:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3807672

• लाभार्थी छात्राओं के आवश्यक दस्तावेज एवं ई–रुपी वाउचर जारी करने हेतु छात्राओं के रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर की सूचना संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।

• छात्रा द्वारा किसी भी प्रकार की कोई जानकारी छिपाकर स्कूटी प्राप्त की जाती है यथा माता–पिता/अभिभावक की आय, केन्द्रीय कर्मचारी/राज्य कर्मचारी/राजकीय उपक्रम/निगम बोर्ड कर्मचारी/वित्तपोषित संस्था का कर्मचारी जिनके द्वारा फॉर्म नम्बर 16 या आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं कर आवेदन पत्र में असत्य जानकारी अंकित की गई है तथा स्कूटी स्वीकृति पश्चात् स्वीकृतकर्ता अधिकारी को किसी माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है तो सम्बन्धित छात्रा/अभिभावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी। दिव्यांग छात्राओं को स्कूटी के स्थान पर ट्राई–साईकिल माँग करने पर प्राथमिकता से प्रदान की जावेगी।

• पूर्व में TAD विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा के परिणाम के आधार पर किसी बालिका को 10वीं के परिणाम के आधार पर स्कूटी प्राप्त हुई है तो उस छात्रा को 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रूपयें एक मुश्त राशि प्राप्त होगी।

संलग्नः–

1. उच्च शिक्षा विभाग (सभी वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–अ)
2. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (अनुसूचित जाति (SC) वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–ब)
3. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (12वीं उत्तीर्ण) (अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–स)
4. माध्यमिक शिक्षा विभाग (सामान्य वर्ग का आर्थिक पिछड़ा (EBC) वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–द)
5. अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग (अल्पसंख्यक वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–य)
6. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–र)
7. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग (10वीं उत्तीर्ण) (अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग) की छात्राओं की अंतिम वरीयता सूची। (परिशिष्ट–ल)

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 23 (80)(2) लेखा/आकाशि/ऑनलाईन/छात्रवृति/2021–22/6188-92 दिनांक : 12.05.2023

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक एवं मामलात विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. प्रभारी, वेबसाइट को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

d:\scholarship\scheme\kalibai 2021-22\kalibai scooty final list oreder 2021-22.docx

Signature valid
Digitally signed by Sunil Sharma
Designation: Commissioner
Date: 2023.05.12 1?:43:35 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3807672

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट–र

कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना अंतिम वरीयता सूची वर्ष 2021–22 (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग) (विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु वर्ग की छात्राओं हेतु)

S.No.	Merit No.	APPLICATIONID	INSTITUTE NAME	DISTRICT (INSTITUTE)	STUDENT NAME	FATHER'S/GUARDIAN'S NAME	Faculty (Last Year)	Last Year School Type	RBSC/CBSE	DOB	ISSPECIALLY ABLED	COURSE	IS_DENOTIFIOED	LASTEXAMPASSEDPER
1	1	3694662	ALANKAR MAHILA P.G. MAHAVIDYLAYA	JAIPUR	SARGAM YOGI	SUNIL KUMAR YOGI	SCIENCE	PVT	R	20-05-2004	NO	B.SC.-B.ED.(B.SC.-B.ED.)	YES	95.80